Year	Number of sanitary latrines constructed	Number of villages taken up
1987-88	5258	217
1988-89	4176	217

(c) Yes, Sir.

(d) The allocation to the State Government of Andhra Pradesh for 1989-90 under CRSP is Rs.102.60 lakhs.

मदर डेरी के फल और सब्जी विभाग में जूनियर कोआर्डिनेटर की नियुक्ति

1166. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मदर डेरी के फल और सब्जी विभाग में जूनियर कोआर्डिनेटर के पद पर कितने व्यक्तियों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति की गई और उनमें से कितने व्यक्तियों को स्थायी कर दिया गया है और कितने व्यक्तियों को कोई कारण बताये बिना सेवा से निकाल दिया गया है ;

(ख) क्या कुछ स्थायी कर्मचारियों को वरीयता का उल्लंघन करते हुए अनियमित रूप से स्थायी कर दिया गया है जबकि वरिष्ठ कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है तथा क्या सरकार सेवा से निकाले गए कर्मचारियों को उनकी वरीयता के आधार पर पुनर्नियुक्ति करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) मदर डेरी फल और सब्जी एकक अस्थायी थी । मदर डेरी के फल और सब्जी एकक में कनिष्ठ समन्वयक का कोई पद नहीं था । अतः किसी व्यक्ति को स्थायी करने या निकाल दिये जाने का प्रश्न ही नहीं होता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी

1167. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए; उन लोगों की संख्या का कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है जिन्हें राज सहायता दी गई तथा जिन्हें राज सहायता नहीं दी गई;

(ख) क्या सरकार बचे हुए लोगों को राज सहायता का लाभ देने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम ये हैं :– समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई०पी०), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) और लघु तथा सीमान्त कृषक योजना । इनमें से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और लघु तथा